हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213

Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

क्रमांकः हि०शि०बो०संबद्धता(38)/2020- 106247 दिनांकः 09-01-2020

प्रेषकः-

सचिव,
हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला-176215

प्रेषितः-

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक,
सरकारी एवं संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला।

विषयः- **पहली से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठय-पुस्तकों, प्रायोगिक पुस्तकों को पढ़ाने और पुस्तकालय हेतु पाठ्यक्रम/सामग्री क्रय किये जाने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम को जारी रखते हुए पुनः अवगत करवाया जाता है कि प्रदेश के सभी राजकीय एवं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान, स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित/प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों एवं प्रायोगिक पुस्तकों को ही पढ़ाऐंगे। इसके अतिरिक्त संबद्धता विनियम 16.3.8(m) के अनुसार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों को केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों को ही अपने संस्थान में पढ़ाना अनिवार्य है।

बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से ही प्रकाशित किये जाते हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, प्रायोगिक पुस्तकें और पुस्तकालय हेतु सामग्री प्रत्येक जिले के जिला पुस्तक वितरण सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में उपलब्ध है।

अतः आपको परामर्श दिया जाता है कि यदि आपके द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित/निर्धारित पाठ्यपुस्तकें एवं प्रायोगिक पुस्तकें (Practical Note Books) और पुस्तकालय हेतु पाठ्यक्रम पुस्तकें/सामग्री अभी तक क्रय नही की गई है तो आप इन्हें संबन्धित जिले के नजदीक में स्थित पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र से क्रय करें। यदि, आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है और औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि आपके द्वारा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही हैं और पुस्तकालय में निर्धारित पाठ्यक्रम/सामग्री उपलब्ध नहीं है तो संस्थान के विरूद्ध संबद्धता रेगुलेशन में निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

सचिव